

दैनिक पुकार

www.dainikpukar.com

उदयपुर गुरुवार दिनांक 14 नवम्बर 2024

दक्षिणी राजस्थान का प्रमुख हिन्दी दैनिक



राजस्थान उप चुनाव : 7 सीटों पर हुई 69.29% वोटिंग

जयपुर (पुकार)। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग हुई। इन सीटों पर कुल 69.29% मतदान हुआ है। खींवर में सबसे ज्यादा 75.62 प्रतिशत, जबकि सबसे कम दौसा में 62.10 प्रतिशत वोटिंग हुई। इसके अलावा रामगढ़ में 75.27%, झुंझुं में 65.80%, देवली-उनियारा में 65.10%, सलुवर में 67.01% और चौरासी में 74.10% वोटिंग हुई है। झुंझुं के कला गांव में फर्जी वोटिंग के विवाद में मारपीट हो गई। दावा किया जा रहा है कि निर्दलीय कैडिडेट राजेंद्र गुड़ा के एजेंट ने दूसरे प्रत्याशी के फर्जी वोट को रोकने की कोशिश की तो दोनों में विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पोलिंग पार्टी ने स्थिति संभाली। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने प्रशासन पर फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप लगाते हुए कहा- प्रशासन और पुलिस मिली हुई है। बूथ कैचर किया, वोट डालने नहीं दिए गए। इधर, खींवर के कुचेरा में मतदान के दौरान एक युवजुं कालुलाल घांची (68) को हार्टअटैक आ गया। बूथ पर मौजूद पुलिस के जवान अर्जुनलाल ने सीपीआर देकर उनकी जान बचाई।

23 को आएं उपचुनाव के नतीजे : उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। सातों सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 69 कैडिडेट मैदान में हैं। उपचुनाव के नतीजे सरकार और विपक्ष दोनों के सियासी नरेंद्र को तय करेगा।



देवली-उनियारा सीट उप चुनाव में वोटिंग के दौरान हुआ बवाल

समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी मीणा ने एसडीएम को जड़ दिया थप्पड़

बूथ के सामने धरने पर बैठे ग्रामीणों को हटाने आई पुलिस तो नरेश मीणा के समर्थकों ने कर दिया पथराव, गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस ने भी दागे आंसू गैस के गोले

टोंक (पुकार)। देवली-उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में पुलिस और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थक आमने-सामने हो गए। नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के सामने धरने पर बैठे थे। पुलिस को बूथ से मतपेटियां रवाना करनी थी। इसके लिए बूथ के सामने से भीड़ को हटाने आ रही थी। इसी दौरान नरेश मीणा के समर्थकों ने पथराव कर दिया और गाड़ियों में आग लगा दी।

पथराव में एसपी की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पथराव में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों समेत कई लोग चोटिल हुए हैं। धौलपुर से एसटीएफ और चुनाव में लगाए गए आसपास के सुरक्षाबलों को भी यहां तैनात कर दिया है। इस दौरान मौके पर अफसर-तफरी मच गई। मौके पर तनाव का माहौल है।

समर्थकों ने नरेश मीणा को पुलिस से छुड़ाया

नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि उनके धरने में शामिल लोगों के लिए बाहर से खाना आया था। पुलिस ने टोल पर खाने के पैकेट

रोक लिए। इस पर वह अकेले ही धरनास्थल से उठकर पुलिस अधिकारी से बात करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया। जैसे ही समर्थकों को पता चला तो वे नरेश मीणा को छुड़ा ले गए।

दरअसल, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने समरावता गांव में दोपहर करीब 1 बजे सेक्टर मजिस्ट्रेट (मालपुरा एसडीएम) अमित चौधरी के थप्पड़ मार दिया। मीणा की वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से भी हाथापाई हुई थी। नरेश मीणा पर जबरन पोलिंग बूथ में घुसने का आरोप लगा। नरेश मीणा ने कहा- गांव के लोगों की उपखंड मुख्यालय बदलवाने की मांग को लेकर वोटिंग का बहिष्कार किया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जबरन लोगों को धमकाकर वोट डलवा रहे थे। मैंने इसी बात का विरोध किया था। मामला इतना बढ़ गया था कि मौके पर मौजूद पुलिस ने नरेश मीणा को बूथ से बाहर कर दिया। नरेश मीणा समर्थकों के साथ दोपहर करीब 2 बजे मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उनका कहना था- जब तक लिखित में इस गांव को देवली में शामिल करने का आश्वासन नहीं मिल जाता, वे धरने

आरएस एसोसिएशन ने हड़ताल की चेतावनी दी

देवली-उनियारा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना पर आरएस एसोसिएशन ने नाराजगी जताते हुए पेन ड्राउन हड़ताल की चेतावनी दी है। आरएस एसोसिएशन ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की मांग की है।



न्यूज एंकर को रक्षा मंत्री बना डोनाल्ड ट्रम्प ने चौंकाया



वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना में मेजर रहे और फोक्स न्यूज के एंकर और होस्ट पीट हेगसेथ को नया रक्षा मंत्री बनाने का ऐलान किया है। उनको इस घोषणा ने सबको चौंका दिया है क्योंकि उनका नाम इस पद की रेस में कहीं नहीं था। हेगसेथ अगले साल 20 जनवरी से पेंटागन का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा ट्रम्प ने एक पूर्व कांग्रेसी और राष्ट्रीय खुफिया विभाग के पूर्व निदेशक जॉन रैटक्लिफ को केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। रैटक्लिफ ने ट्रम्प के बतौर राष्ट्रपति पहले कार्यकाल के अंतिम महीनों में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में सेवा दी थी और कोरोना वायरस महामारी के दौरान अमेरिकी सरकार को जासूसी एजेंसियों का भी नेतृत्व किया था। नव-निर्वाचित राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्होंने अर्कासिस के पूर्व गवर्नर और कट्टर इजरायल समर्थक कट्टरपंथी माइक हकाबी को इजरायल में राजदूत और अपने लंबे समय के दोस्त स्टीवन विट्कोफ को पश्चिम एशिया का विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है। इन्हें ईराक और अफगानिस्तान युद्ध का विशेष अनुभव है।

बुलडोजर एक्शन पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जारी की गाइडलाइन, कहा-

अफसर जज नहीं बन सकते, प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस, वीडियोग्राफी जरूरी; अफसर दोषी तो निर्माण कराएगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह कमेंट किया।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी कीं।

अदालत ने कहा कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और मुआवजा भी देगा।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप लगाया था कि ऋषुक शोसित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि कोर्ट अपने फैसले से हमारे हाथ ना बांधे। किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई है, क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है।

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल कमेंट



हर आदमी का सपना एक घर, क्या छिन सकते हैं

जस्टिस बीआर गवई बोले, एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी ना छीना जाए। हर एक का सपना होता है कि सिर पर छत हो। क्या अधिकारी ऐसे आदमी को छत ले सकते हैं, जो किसी अपराध में आरोपी हो? आरोपी हो या फिर दोषी हो, क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया का पालन किए गिराया जा सकता है?

अधिकारी जज नहीं, फैसला नहीं कर सकते कौन दोषी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह असंवैधानिक है। अधिकारी यह तय नहीं कर सकते हैं कि कौन दोषी है, वे खुद जज नहीं बन सकते हैं कि कोई दोषी है या नहीं। यह सीमाओं को पार करना हुआ।

गलत नीयत वाले एक्शन पर अफसर को बरखा ना जाए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर इसलिए गिराता है कि वो आरोपी है, यह गलत है। अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लिया जाना चाहिए। मनमाना और एकरफरा एक्शन नहीं ले सकते। अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम हो। अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता है।

घर गिराना आखिरी रास्ता, यह साबित करना होगा

जस्टिस गवई ने कहा, एक घर सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने का मसला है। ये सिर्फ एक घर नहीं होता है, यह बरसों का संघर्ष है, यह सम्मान का भावना देता है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता है, तब तक वो निर्दोष है। ऐसे में उसका घर गिराना उसके पूरे परिवार को वीराना बना देता है।

सुप्रीम कोर्ट की अजित पवार गुट को नसीहत, कहा-

'अपने पैरों पर खड़े हों, शरद पवार की फोटो न करें इस्तेमाल'

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार गुट को नसीहत दी है। एनसीपी शरद को ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीपी अजित पवार अपने पैरों पर खड़ी हो। चुनाव में शरद पवार की फोटो का इस्तेमाल न करें। क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच वैचारिक मतभेद हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने की जगह चुनाव पर ध्यान दें। कोर्ट ने अजित पवार के वकील बलवीर सिंह से कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि चुनाव में शरद पवार की फोटो, पुरानी या नई वीडियो क्लिप का उपयोग न करें। अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और चुनाव से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच ऑनलाइन सूचना जारी करके ऐसे निर्देश दें। मामले पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हालांकि भारत के लोग बुद्धिमान हैं जो अजित पवार और शरद पवार के बीच अंतर समझते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इटेलीजेंस के इस युग में वह धोखा भी खा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने मामले को अगली सुनवाई मंगलवार को तय की है।



केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी की

नई दिल्ली (एजेंसी)। कोचिंग सेंटर अब 100% सिलेक्शन और 100% नौकरी देने का दावा नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। ऐसा भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीआर) के अनुसार कोचिंग सेंटर अब ऐसे झूठे दावे नहीं कर सकते जो उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं। सरकार ने यह फैसला कई शिकायतों के बाद किया है। अब तक कोचिंग संस्थानों को 54 नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा 18 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर करीब 54.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन

कोचिंग सेंटर 100% सिलेक्शन-जॉब्स का दावा नहीं कर सकते, बिना अनुमति टॉपर्स की फोटो नहीं छाप पाएंगे

अफसर ने कहा- सरकार कोचिंग सेंटर के खिलाफ नहीं

कॉन्ज्यूर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा, 'हमने देखा कोचिंग सेंटर जानबूझकर स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए सच्चाई छिपाते हैं। यही वजह है कि हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइन लानी पड़ी। सरकार कोचिंग सेंटर के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी कॉन्ज्यूर राइट्स के खिलाफ नहीं हो सकती।

एनसीएच ने स्टूडेंट्स को 1.15 करोड़ रुपए की फीस रिफंड कराई

नेशनल कॉन्ज्यूर हेल्पलाइन यानी एनसीएच को स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कई शिकायतें मिली थीं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें एनरोलमेंट फीस रिफंड न होने की थी। इसके बाद एनसीएच ने पीडित स्टूडेंट्स को करीब 1.15 करोड़ रुपए रिफंड की पहल शुरू की और मुकदमेबाजी से पहले ही इन स्टूडेंट्स को उनका रिफंड मिल गया था।

शिक्षा मंत्रालय ने भी जनवरी में गाइडलाइन जारी की थी

इस साल जनवरी में स्टूडेंट्स की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, क्लासेज में आग की घटनाओं और कोचिंग सेंटर में सुविधाओं की कमी के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी थी।

सीएम सिद्धारमैया का सनसनीखेज दावा

हमारे विधायकों को बीजेपी ने दिए 50-50 करोड़ के ऑफर

मैसूरु (एजेंसी)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने उनकी सरकार को गिराने के लिए 50 करोड़ रुपये की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के एक भी विधायक ने इस पर सहमत नहीं दी, जिसके कारण भाजपा अब उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करा रही है। पीटीआई के मुताबिक, मैसूरु जिले के टी नरसीपुरा विधानसभा क्षेत्र में 470 करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्यों का उद्घाटन करने के बाद सिद्धारमैया ने ये आरोप लगाए। उन्होंने पूछा, सिद्धारमैया सरकार को किसी तरह से गिराने के लिए उन्होंने (भाजपा ने) 50 विधायकों को 50 करोड़ रुपये की पेशकश की। उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्या पूर्व मुख्यमंत्रियों बीएस येदियुरप्पा, बलवराज बोम्मई, विपक्ष के नेता आर



